W. P. No. 131

पर्वतीय क्षेत्र में स्त्री विकास कार्यक्रम

प्रताप सिंह गढ़िया

गिरि विकास अध्ययन संस्थान
सेक्टर "ओ"
अलीगंज हाउसिंग स्कीम,
लखनऊ—226 020

W.P. NO. 131

पर्वतीय क्षेत्र में स्त्री विकास कार्यक्रम
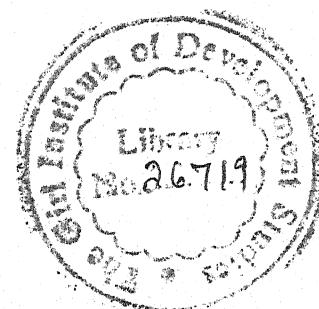
प्रताप सिंह गढ़िया

गिरि विकास अध्ययन संस्थान,
सेक्टर "ओ"
अलीगंज हाउसिंग स्कीम,
लखनऊ - 226 020

पर्वतीय क्षेत्र में स्त्री विकास कार्यक्रम

× प्रताप सिंह गढ़िया

उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के महेवा विकास खण्ड से प्रारम्भ हुए "इटावा पायलट प्रोजेक्ट" के समय से यद्यपि देश में यह धारणा बनी रही कि जो भी विकास कार्यक्रम लोगों के विकास के लिए चलाये जा रहे हैं उनसे स्त्रियों का विकास स्वत: हो जायेगा, लेकिन व्यवहार में यह धारणा मिथ्या साबित हुई क्योंकि सामान्य रूप से जो भी विकास कार्यक्रम चलाये गये उनका झुकाव पुरूष वर्ग की तरफ रहा । समय व परिस्थिति में हो रहे बदलाव व आधुनिकता की दौड़ में स्त्री वर्ग के पिछड़ जाने के कारण योजनाकारों, समाजसेवी संस्थाओं व समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा स्त्रियों के विकास के लिए अलग से विकास कार्यक्रमों को बनाने की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल शक्तिशाली वर्ग, प्रशासन व तकनीशियनों के द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता । अत: कार्यक्रमों की सफलता के लिए स्त्रियों व पुरूषों का भाग लेना आवश्यक है दूसरी तरफ मात्र पुरूष प्रधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके सम्पूर्ण जनसंख्या के आधे भाग को नकारा नहीं जा सकता है । इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर नये-नये विकास कार्यक्रमों का सृजन ग्रामीण व शहरीय स्त्रियों के पक्ष में किया गया है।

ग्राम्य विकास के "इटावा पायलट परियोजना" के समय स्त्रियों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से सबक लेकर योजनाकारों ने सन् 1950 से 1960 के दशक में स्त्रियों के लिए व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम (ए.एन.पी.), सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम (एस.ई.पी.), महिला कल्याण कार्यक्रम (डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.) और परिवार नियोजन कार्यक्रम (एफ.पी.पी.),

---

× गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ ।

आदि को सामुदायिक विकास केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया लेकिन लक्ष्य आधारित होने के कारण ये कार्यक्रम जनमानस के दृष्टिकोण, ज्ञान व योग्यता में वांछित परिवर्तन नहीं ला पाये।

सन् 1960 के बाद भारत सरकार के समाज कल्याण, मानव संसाधन, कृषि, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य व उद्योग मंत्रालयों के द्वारा तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय बचत संगठन व खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन के माध्यम से अनेक कार्यक्रम जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, समाज में तिरस्कृत, निराश्रित, असहाय, विधवा एवं संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय एवं पुर्नवास कार्यक्रम, प्रशिक्षण के साथ उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, ऐच्छिक व सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों व बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), एकीकृत बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) नवयुवकों को स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण (ट्राइसेम) और स्त्रियों के विकास के लिये वित्त निगमों की स्थापना की गयी। इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों व मूल्यांन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ये कार्यक्रम भी समाज के शक्तिशाली वर्ग व शहरी वर्गों तक ही सीमित रहे हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र में संलग्न स्त्रियों को इनसे अपेक्षित लाभ नहीं हो पाया।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी प्रसार सलाहकार सेवायें, प्रयोगशाला से जमीन तक का कार्यक्रम, आदिवासी क्षेत्र शोध एवं विकास कार्यक्रम, किसान मेला, कृषि विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा वन विनाश कम करने व पर्यावरण सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम चलाये गये हैं। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा जल प्रबन्ध कार्यक्रम के अधीन - वनीकरण कृषि, बागवानी, भूमि संरक्षण सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से चलाया गया है। इन कार्यक्रमों के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर स्थित ऐच्छिक संगठन भी स्त्री विकास कार्यक्रमों में संलग्न पाये जाते हैं।

हमारे शोध हेतु चयनित उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र (कुमायूँ और गढ़वाल मण्डल) में भी देश व उत्तर प्रदेश की तरह केन्द्रीय सहायता व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाये जाने वाले लगभग सभी विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं लेकिन कृषि क्षेत्र में संलग्न स्त्री श्रमिकों का विकास कार्यक्रमों में भागीदारी का स्तर क्या है ' विभिन्न विकास कार्यक्रमों को चलाने वाले विभागों द्वारा उनसे सम्पर्क किया जाता है या नहीं ' तथा कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके द्वारा दिये गये सुझावों को कृषि क्षेत्र में संलग्न 180 स्त्री श्रमिकों से संरचनात्मक प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्यक्ष साक्षात्कार लेकर परखने का प्रयास किया गया है ।

तालिका संख्या 1 में बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा कृषि विकास कार्यक्रमों में उत्तरदाता स्त्रियों की भागीदारी को दर्शाया गया है । यद्यपि चयनित गांवों में जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास, लघु सिंचाई, स्पेशल कम्पोनेन्ट कार्यक्रम आदि अनेक रोजगारपरक कार्यक्रम चले हैं लेकिन स्त्रियां इन कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं निभा पा रही हैं । तालिका से ज्ञात होता है कि हमारे प्रतिदर्श में लगभग 12.0 प्रतिशत स्त्रियां ही विकास कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभा रही हैं । हमारे चयनित छः गांवों में से तीन गांवों में आंगनबाड़ी तथा एक गांव में बालवाड़ी केन्द्र पाये गये हैं। आंगनबाड़ी को सरकार की तरफ से तथा बालवाड़ी को ऐच्छिक संगठन द्वारा खोला गया है । हमारे प्रतिदर्श के मात्र लगभग 2.0 प्रतिशत स्त्रियां बालवाड़ी के प्रबन्ध तथा कभी-कभी बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं।

हमारे चयनित गांवों में से पांच गांवों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं जो अध्ययन के समय कागजी पाये गये इन्हीं केन्द्रों में लगभग 1.0 प्रतिशत उत्तरदाता स्त्रियां कागजी अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका निभाती हुई पायी गयी हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रत्येक विकास खण्ड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है । हमारे प्रतिदर्श की लगभग 4.0 प्रतिशत स्त्रियां परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भागीदारी निभाती हुई पायी गयी हैं । उनमें से भी लगभग आधी स्त्रियां कभी-कभी तथा आधी स्त्रियां बहुत कम भाग लेती हैं । भूमि जोत के आधार पर देखने से ज्ञात हो रहा है कि 2.5 एकड़ से कम आकार जोत की स्त्रियां परिवार कल्याण कार्यक्रमों में अधिक भाग ले रही हैं ।

हमारे प्रतिदर्श के छः गांवों में से मात्र एक घाटी वाले गांव में कृषि विकास कार्यक्रमों में उत्तरदाताओं को भाग लेते हुए पाया गया है जबकि अन्य गांवों में स्त्रियां कृषि विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनभिज्ञ देखी गयी हैं । अध्ययन क्षेत्र में जिस गांव में कृषि विकास के सम्बन्ध में स्त्रियां प्रशिक्षण ले रही हैं उसका श्रेय उस गांव में स्थित महिला संगठन को जाता है । क्योंकि महिला संगठन ही विकास खण्ड के माध्यम से उन्नत बीज, रासायनिक खाद का उपयोग तथा सिंचाई के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिलवाने में सहायता करता है ।

कुल मिलाकर हमारे प्रतिदर्श की लगभग 88.0 प्रतिशत स्त्रियां समयाभाव, कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी न होना तथा पुरूष सदस्यों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण विकास कार्यक्रमों में भागीदारी निभाकर विकास का लाभ अर्जित नहीं कर पा रही हैं ।

तालिका संख्या - 1

विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्त्रियों की भागीदारी

विकास कार्यक्रम	1.0 एकड़ से कम	1.0-2.5	2.5-5.0	5.0 +	कुल
1. बालवाड़ी/आंगनवाड़ी	-	1 (1.8)	-	2 (40.0)	3 (1.7)
2. प्रौढ़ शिक्षा	-	1 (1.8)	1 (4.8)	-	2 (1.1)
3. परिवार कल्याण	3 (3.1)	3 (5.4)	1 (4.8)	-	7 (3.9)
4. कृषि में योगदान	4 (4.1)	6 (10.7)	-	-	10 (5.6)
योग	7 (7.2)	11 (19.6)	2 (9.5)	2 (40.0)	22 (12.2)
चयनित परिवार संख्या	98	56	21	5	180

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं ।

विकास कार्यक्रम चलाने वाले विभागों द्वारा स्त्रियों से सम्पर्क :

तालिका संख्या 2 में विकास कार्यक्रम चलाने वाले विभाग द्वारा स्त्रियों से सम्पर्क, कृषि प्रशिक्षण तथा उत्तरदाता स्त्रियां पंचायत व ऐच्छिक संगठन की सदस्य हैं या नहीं'' का विवरण दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि हमारे प्रतिदर्श की लगभग 9.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विकास कार्यक्रम को चलाने वाले विभागों द्वारा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी देने की बात को स्वीकारा है तथा लगभग 6.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कृषि कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हमारे अध्ययन में लगभग 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायत व ऐच्छिक संगठनों की सदस्या व पदाधिकारी पाया गया है।

तालिका संख्या 2

विकास कार्यक्रम चलाने वाले विभागों द्वारा उत्तरदाताओं से सम्पर्क

विवरण	1.0 एकड़	1.0-2.5	2.5-5.0	5.0 +	कुल
1. विकास कार्यक्रम चलाने विभाग सम्पर्क करते हैं।	8 (8.2)	7 (12.7)	–	2 (40.0)	17 (9.4)
2. कृषि में प्रशिक्षण	4 (4.1)	6 (10.7)	–	–	10 (5.6)
3. पंचायत व ऐच्छिक संगठन की सदस्या	6 (6.1)	3 (5.4)	1 (4.8)	2 (40.0)	12 (6.7)
कुल चयनित परिवार	98	56	21	5	180

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये अंक कुल चयनित परिवारों से प्रतिशत दर्शाते हैं।

विकास कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने के उपाय :

तालिका संख्या 3 में विभिन्न विकास कार्यक्रम में स्त्रियों की भागीदारी

बढ़ाने के सम्बंध में उत्तरदाता स्त्रियों के सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है कि चयनित क्षेत्र की स्त्रियों का अशिक्षित होना, समयाभाव, पुरूष वर्ग का सहयोग न होना तथा कार्यक्रमों की अज्ञानता के कारण स्त्रियां विकास कार्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ पायी गयी हैं । अध्ययन के समय उत्तरदाता स्त्रियों का यह कहना कि हमारी बात कौन सुनता या मानता है । आप पढ़े-लिखे होंगे इसलिये जिन बातों से हमारा हित हो लिख देना, कहना उनकी दयनीय दशा व पीड़ा को दर्शाता है । इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे प्रतिदर्श की लगभग 66.0 प्रतिशत उत्तरदाता अपने विकास के लिये सुझाव देने में असमर्थ पायी गयीं, जिन उत्तरदाताओं ने सुझाव दिये वे भी एक सुझाव से अधिक सुझाव नहीं दे पायें ।

हमारे प्रतिदर्श पाँच गांवों में यद्यपि सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं लेकिन उनका स्वरूप कागजी होने से हमारे प्रतिदर्श की लगभग 11.0 प्रतिशत उत्तरदाता स्त्रियों को शिक्षित करके विकास कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने का सुझाव देती हैं। यद्यपि चयनित गांवों के नजदीक व नाप भूमि के आस-पास की बेनाप भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है लेकिन हमारे अध्ययन की लगभग 4.00प्रतिशत उत्तरदाता बेनाप भूमि से कब्जा हटाकर उसमें चारे व ईंधन के वन लगाने का सुझाव देती हैं ताकि जंगल से इन चीजों को लगाने में लगे समय की बचत कर स्त्रियां विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकें ।

साधारणतया अपनी कार्यव्यस्तता के कारण स्त्रियां कार्यक्रमों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखती हैं तथा पुरूष सदस्य कार्यक्रमों का ज्ञान होने पर भी स्त्रियों को उनकी जानकारी नहीं देते हैं इसलिये हमारे प्रतिदर्श की लगभग 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों को देने का सुझाव दिया ताकि जिन स्त्रियों के पास समय होगा वे कार्यक्रमों में भाग ले सकें । हमारे अध्ययन के लगभग 1.0

प्रतिशत स्त्रियों ने कृषि के ढंग व फसल चक्र भी बदलने का सुझाव दिया क्योंकि वर्तमान कृषि का तरीका अधिक कार्य गहनता वाला व कम आय प्रदान करने वाला है ।

तालिका – 3

विकास कार्यक्रमों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाने के उपाय

उपाय	1.0 एकड़	1.0-2.5	2.5-5.0	5.0+	कुल
1. स्त्रियों को शिक्षित करना	9 (9.2)	4 (7.1)	5 (23.8)	1 (20.0)	19 (10.6)
2. बेनाप व बंजर भूमि में वनीकरण	2 (2.0)	4 (7.1)	–	1 (20.0)	7 (3.9)
3. कार्यक्रमों की जानकारी	14 (14.3)	13 (23.2)	5 (23.8)	1 (20.0)	33 (18.3)
4. कृषि का ढंग व फसल चक्र में बदलाव	1 (1.0)	1 (1.8)	–	–	2 (1.1)
5. कोई सुझाव नहीं	72 (73.5)	34 (60.8)	11 (52.4)	2 (40.0)	119 (66.1)
कुछ चयनित परिवार	98 (100.0)	56 (100.0)	21 (100.0)	5 (100.0)	180 (100.0)

टिप्पणी – कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।

यह बहुजन से मुखरित हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र की स्त्रियां दूर-दूर से ईंधन चारा व पेयजल सिर व पीठ में ढोकर लाने, बच्चों को जनने व उनका पालन-पोषण करने, घर में कृषि पशुपालन व अन्य घरेलू कार्य करने, धान कूटने व चक्की पीसने, धुँए वाले चूल्हे में खाना बनाने, कुपोषण तथा बिना विश्राम वाले कार्य के बोझ से दबी है जो एक तरफ निम्न उत्पादकता को प्रोत्साहित कर रहे हैं वरन् मनोवैज्ञानिक तनाव ग्रस्तता से सृजनात्मक विचारों में भी ह्रास ला रहे हैं। वर्तमान समय में जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार व वनों

के अन्धाधुन्ध कटान से जंगलों की दूरियाँ बढ़ने से उनकी समस्याओं व कार्यबोझ में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

आज हम जब विकास कार्यक्रमों की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके कार्यबोझ को कम करने तथा आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना वांछित है क्योंकि जो स्त्रियां प्रातः चार बजे जागकर परिवार के अन्य सदस्यों के सो जाने के बाद रात दस-ग्यारह बजे तक अपने घर के आर्थिक व अनार्थिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद बिस्तर में जाती हैं तो उनके द्वारा विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की उम्मीद रखना निरर्थक व मितव्यता है। आज तक पर्वतीय क्षेत्र में चलाये गये अधिकतर विकास कार्यक्रम लक्ष्य आधारित होने, कार्यक्रमों को सामाजिक व क्षेत्रीय भिन्नता के अनुरूप न बनाये जाने, गुणात्मक क्रियान्वन का अभाव तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अज्ञानता के कारण सुदूर अंचलों व गरीबी में जीवनयापन करने वाली स्त्रियाँ इनसे लाभान्वित नहीं हो पायी हैं।

अतः भविष्य में चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वन से पूर्व अधिक श्रम गहनता तथा न्यून आय प्रदान करने वाली कृषि में तकनीकी सुधार तथा चारा ईंधन व पेयजल को गाँव के नजदीक लाकर उनके समय की बचत करना आवश्यक महसूस होता है तभी उस बचे समय का उपयोग विकास कार्यक्रमों में लगाकर वे अपनी आर्थिक दशा में सुधार कर सकती हैं इसके लिये जहाँ उनको सक्रिय व जागृत करना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर क्रियान्वन में सरकार का प्रत्यक्ष सहयोगी बनाना भी नितान्त आवश्यक है।

सन्दर्भ

1. शर्मा, कुमुद – (1986) इन्ट्रेलेशन बिटवीन पॉलिसी एजम्सन एण्ड रूरल वूमन वर्क, आकेजनल पेपर नं0 1, सेन्टर फार वूमन डेवलपमेंट स्टडीज ।

2. मेहरा, रेखा – द नेगलेक्ट ऑफ वूमन इन इण्डियाज रूरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, ए स्टडी ऑफ फेल्योर इन प्लानिंग, आई. सी. एस.एस.आर., दिल्ली ।

3. दयाल, राजेश्वर – (1966) कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद ।

4. दास, परीमल – (1958) वूमन अण्डर इण्डियाज कम्यून्टिी प्रोग्राम्स, इन्टरनेशनल लेबर रिव्यू, वाल्यूम – 80

5. रिपोर्ट आफ द नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर (1976) गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया, न्यू दिल्ली ।

6. सिक्स फाइव ईयर प्लान (1980–85) प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ।

7. सेवन्थ फाइव ईयर प्लान (1985–90) प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ।

8. एन.आई.पी.सी.सी.डी. (1988) हैन्डबुक ऑफ पॉलिसी एण्ड रिलेटेड डाक्यूमेन्टस ऑन वूमन इन इण्डिया ।